संख्या-46/2025/आई/861371/23-1-25/001-23-1002(002)/32/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 24 जनवरी, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व उससे पूर्व वर्षों में विभिन्न जनपदों के मार्गों पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लैप्स धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ पत्र संख्या-958सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/24-25, दिनांक 09.09.2024 एवं पत्र संख्या-1066सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/23-24, दिनांक 17.09.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व उससे पूर्व वर्षों में विभिन्न जनपदों के 10 मार्गों पर लैप्स हुई धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 1,07,97,000/- (रूपये एक करोड़ सात लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का शासनादेश	लैप्स धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	PD Lucknow	लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग से इन्दिरा कैनाल पटरी एक्वाडक्ट सल्लाहीमऊ मीसा सुरियामऊ शाहजी का पुरवा होते हुए गोसाईगंज तक मार्ग की मरम्मत का कार्य।	88.90	300 /2021 /942 रासनि/23-1-21-11 रासनि/21 टी0सी0 दिनांक 24.11.2021	43.88	43.88
2	PD Firozabad	शिकोहाबाद बटेश्वर बाह मार्ग के किमी0-6,7 में विशेष मरम्मत का कार्य।	67.66	307 /2022/625 रासनि/23-1-22/003-41 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 06.10.2022	7.71	7.71
3	PD Firozabad	शिकोहाबाद बटेश्वर बाह मार्ग के किमी0-8,9 में विशेष मरम्मत का कार्य।	56.64	72 /2023/1244 रासनि/23-1-22/003-52 आरएसएन/2022	14.16	14.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत	स्वीकृति का शासनादेश	लैप्स धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
				टीसी दिनांक 09.01.2023		
4	PD Firozabad	एटा शिकोहाबाद मार्ग से उतरारा ग्यामई मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	47.54	213 /2023/649 रासनि/23-1-2023/005-20 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 18.02.2023,	8.44	8.44
5	CD Mau	अलीनगर इन्दारा मझवारा से लखनी मुबारकपुर मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 सहित विशेष मरम्मत का कार्य	42.84	213 /2023/649 रासनि/23-1-2023/005-20 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 18.02.2023,	10.00	10.00
6	CD Mau	घोसी नदवा सराय से फतेहपुर ताल गरजा संपर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 सहित विशेष मरम्मत का कार्य	58.26	213 /2023/649 रासनि/23-1-2023/005-20 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 18.02.2023,	15.00	15.00
7	CD Mau	घोसी मझवारा मार्ग पर बरूहा चट्टी से रसड़ी होते हुए केरमा महरूपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	44.69	213 /2023/649 रासनि/23-1-2023/005-20 आरएसएन/2022 टीसी दिनांक 18.02.2023,	1.55	1.55
8	PD Firozabad	मटसैना जलालपुर कोडरा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	86.94	39 /2022 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	2.18	2.18
9	PD Firozabad	आगरा रोड से रूपसपुर फुलरई दरियापुर पृथ्वीपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	65.10	39 /2022 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	4.17	4.17
10	PD Firozabad	मुस्तफाबाद अहीर मार्ग से अहमराजट ठार श्रीनिवास तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	45.53	39 /2022 /1936 रासनि /23-1-21-10 रासनि/21 टीसी-2 दिनांक 07.01.2022	0.88	0.88
				कुल योग-	**107.97**	**107.97**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृत/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराया जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 1,07,97,000/- (रूपये एक करोड़ सात लाख सत्तानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-46/2025/आई/861371(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/32/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।